कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 17080/2022 सुखजिन्द्र बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2022 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि याचिकार्थी वर्तमान में राउमावि, कलरा ब्लॉक फलौदी, जिला–जोधपुर में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–3 पद पर कार्यरत है। याचिकार्थी की माताजी पिछले 6 वर्ष से मानसिक व गंभीर बीमारी (Parkinson) से ग्रस्त है जिनका इलाज श्रीगंगाानगर से चल रहा है। वह बगैर सहारे के चल फिर नहीं सकती है। याचिकार्थी के पिताजी का निधन हो चुका है। माताजी के देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं है। याचिकार्थी स्वयं चेहरे की मांसपेशियों की विकलांगता को प्रभावित करने वाली बीमारी से पीड़ित है, जिसका इलाज चल रहा है। याचिकार्थी का पदस्थापन अपने निवास स्थान से 450 किमी. दूर है। जिसके कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकार्थी ने राउमावि–16,17 घनजातीय (211907) ब्लॉक श्रीकरणपुर, जिला–श्रीगंगानगर, राउमावि–I.V (427809) ब्लॉक श्रीकरणपुर, जिला–श्रीगंगानगर, राउमावि–39 G.G. (211928) ब्लॉक श्रीकरणपुर, जिला–श्रीगंगानगर, में रिक्त पद पर स्थानान्तरित करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2022 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के अनुसार शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर विभाग द्वारा जिलेवार एवं वर्गवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरूद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि **"the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post."** इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है।

अतः याचिकार्थी द्वारा जोधपुर जिले से श्रीगंगानगर जिले में स्थानान्तरण करने हेतु की जा रही मांग उपरोक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–2/को.के./जोध/12918/2022 दिनांकः 23.12.22

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–विधि) जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) जोधपुर
3. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. याचिकार्थी सुखजिन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III राउमावि, कलरा ब्लॉक फलौदी, जिला–जोधपुर
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)